उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-87/2026/1525/2026-27-10010/9/2020-10
लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के क्रय अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने विषयक सिंचाई अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2997/07-27-सिं0-3-2एम/84 दिनांक 16-10-2007 में निहित प्रावधानों के क्रम में विभागीय क्रय समिति के सदस्य के रूप में नामित श्री सिद्धा शरण पाण्डेय, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन का स्थानान्तरण खाद्य एवं रसद विभाग में हो गया है। उक्त के दृष्टिगत श्री इन्द्रजीत सिंह, उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि) को विभागीय क्रय समिति के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

2- कृपया तदनुसार विभागीय क्रय समिति की बैठकों में सदस्य के रूप में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक-यथोक्त:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(2) सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) श्री इन्द्रजीत सिंह, उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) अधीक्षण अभियन्ता, सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति-प्रथम/द्वितीय, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(7) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in